भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3446
उत्तर देने की तारीख 16.12.2024

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की योजना

3446. श्री शफी परम्बिल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;
(ख) उक्त योजना के प्रत्येक घटक के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के मानदंड क्या हैं;
(घ) क्या इस सहायता में चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनका संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है और अनुमोदित संगठनों को सीधे ही वित्तीय सहायता जारी की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों की संख्या और संवितरित राशि का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग): इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करने के लिए प्रमुख मानदंड निम्नानुसार हैं:

i) संगठन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए।

ii) संगठन, नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर अवश्य पंजीकृत होना चाहिए।

iii) संगठन की पूर्व-प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रोफाइल होनी चाहिए।

iv) संगठन द्वारा विगत तीन वर्षों के लेखा-परीक्षा विवरण अवश्य प्रस्तुत किए गए हों।

v) संगठन द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न अवश्य फाइल की गई हो।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन (नों)/प्रस्ताव (वों) को मंत्रालय द्वारा प्रत्येक स्कीम घटक के लिए विधिवत रूप से गठित, विशेषज्ञ/संचालन समिति के समक्ष इसके मूल्यांकन और प्रस्ताव के गुणावगुण पर मामला-दर-मामला आधार पर अनुशंसा के लिए रखा जाता है।

(घ): कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम में चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता शामिल नहीं है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

***

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3446 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहयता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख

रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

****

अनुलग्नक-II

'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3446 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

रामकृष्ण मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु अधिकृत राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	1	22.5	1	7.50
2.	असम	-	-	-	-	1	22.50
3.	चंडीगढ़	-	-	-	-	1	15.00
4.	दिल्ली	1	5.99	7	241.25	11	276.25
5.	कर्नाटक	0	0	1	22.5	-	-
6.	केरल	-	-	-	-	1	18.75
7.	महाराष्ट्र	0	0	-	-	1	15.00
8.	मध्य प्रदेश	0	0	1	0.59	-	-
9.	ओडिशा	0	0	-	-	1	8.75
10.	पुदुचेरी	0	0	1	3.75	-	-
11.	राजस्थान	1	5	1	37.5	1	26.25
12.	तेलंगाना	-	-	-	-	2	41.25
13.	उत्तर प्रदेश	1	12.5	2	93.75	1	22.50
14.	पश्चिम बंगाल (उत्तर परगना)	2	6.75	-	-	2	37.50
15.	आर. के. मिशन, पश्चिम बंगाल	1	728	1	738.56	1	766.50
कुल		**6**	**758.24**	**15**	**1160.4**	**24**	**1257.75**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2021-2022		2022-2023		2023-24	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की सं.	जारी की गई राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	54	66.67	65	62.85	83	80.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2.25	0	0	0	0
3.	असम	25	34.66	48	96.21	68	114.11
4.	बिहार	67	95.26	123	203.20	126	161.00
5.	चंडीगढ़	4	8.25	01	0.50	3	21.69
6.	छत्तीसगढ़	6	13.03	03	5.50	4	7.50
7.	दिल्ली	119	263.42	167	408.06	204	370.03
8.	गोवा	2	3.75	01	0.625	1	1.50
9.	गुजरात	11	19.12	17	23.40	16	12.34
10.	हरियाणा	24	42.43	28	62.59	36	74.72
11.	हिमाचल प्रदेश	14	21.91	08	11.00	15	25.75
12.	जम्मू और कश्मीर	41	43.63	52	50.33	49	33.76
13.	झारखंड	6	11.37	11	14.26	7	8.00
14.	कर्नाटक	203	284.60	218	349.42	221	208.22
15.	केरल	28	57.52	30	48.38	30	40.27
16.	मध्य प्रदेश	94	200.12	141	264.90	161	155.17
17.	महाराष्ट्र	27	63.63	56	104.12	34	29.64
18.	मणिपुर	93	115.04	162	196.17	237	249.25
19.	मिजोरम	2	1.50	0	0	0	0
20.	नागालैंड	2	2.25	5	4.62	4	1.35
21.	ओडिशा	149	182.99	180	296.88	168	269.71
22.	पुदुचेरी	1	3.00	0	0	0	0
23.	पंजाब	13	22.21	12	23.27	11	22.65
24.	राजस्थान	33	63.81	48	81.16	57	46.28
25.	सिक्किम	0	0	0	0	1	3.75
26.	तमिलनाडु	21	34.84	15	18.87	11	10.73

27.	तेलंगाना	9	13.87	16	16.87	16	9.61
28.	त्रिपुरा	5	5.75	16	16.15	23	24.94
29.	उत्तराखंड	16	14.78	24	28.11	31	21.91
30.	उत्तर प्रदेश	235	274.55	278	343.33	268	244.07
31.	पश्चिम बंगाल	310	364.14	410	544.44	357	206.86
कुल		**1615**	**2330.35**	**2135**	**3275.22**	**2242**	**2455.51**

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की सं.	आहरण हेतु जारी/अधिकृत राशि (रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	32	103.5	41	117.95	32	77.00
2.	सिक्किम	06	16.50	04	10.00	3	11.00
3.	हिमाचल प्रदेश	37	90.25	42	98.52	40	97.50
4.	जम्मू और कश्मीर	43	73.25	69	117.02	24	37.52
5.	लद्दाख	06	18.00	11	34.00	2	5.50
6.	उत्तराखंड	79	171.97	58	91.24	48	64.00
कुल		**203**	**473.47**	**225**	**468.73**	**149**	**292.52**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की सं.	आहरण हेतु जारी/अधिकृत राशि (रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	46	394.06	57	518.1	50	392.31
2.	आंध्र प्रदेश	7	5.45	2	8	10	9.18
3.	असम	7	22.49	9	30	15	72.00
4.	बिहार	2	7.5	2	8.5	2	8.50
5.	चंडीगढ़	10	69.5	7	49.5	4	40.00
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4	31.76	6	44.47	2	9.45
7.	हिमाचल प्रदेश	81	375.5	78	550.9	31	167.63
8.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	1	7.5	6	23.5	4	20.00
9.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	89	523.0	45	319.62	44	246.42
10.	कर्नाटक	38	212.59	33	272.8	11	62.78
11.	केरल	0	0	1	13.5	0	0
12.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	5	29	4	30.00
14.	महाराष्ट्र	3	15	11	38.25	14	41.00
15.	मणिपुर	0	0	2	5.5	3	9.50
16.	ओडिशा	0	0	1	5	2	12.00
17.	पंजाब	0	0	2	8.5	2	10.00
18.	सिक्किम	2	37.5	0	0	12	89.93
19.	त्रिपुरा	10	82.91	7	37.5	7	41.50
20.	तमिलनाडु	1	5	0	0	2	10.00
21.	तेलंगाना	0	0	2	22.5	3	30.00
22.	उत्तराखंड	34	310.8	26	252.4	5	35.50
28.	उत्तर प्रदेश	19	110.3	27	195.28	11	44.15
29.	पश्चिम बंगाल	12	40.22	72	168	92	175.51
कुल		**366**	**2251.08**	**401**	**2600.82**	**330**	**1557.36**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की संख्या/राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या/राज्य सरकार	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की संख्या/राज्य सरकार	आहरण हेतु जारी/प्राधिकृत राशि (रु.)
1.	असम	2	10.3	1	5.4	0	0
2.	बिहार	0	0	1	0.6	1	6
3.	छत्तीसगढ़	0	0	1	7.5	0	0
4.	दिल्ली	1	10.25	0	0	2	11.20
5.	हिमाचल प्रदेश	3	20.82	1	12.79	1	6
6.	कर्नाटक	6	49.8	3	26.4	1	25
7.	केरल	0	0	1	1.4	0	0
8.	मध्य प्रदेश	1	4	1	3	0	0
9.	महाराष्ट्र	2	5.4	0	0	2	8
10.	मणिपुर	2	11.93	4	15.98	6	35.23
11.	ओडिशा	1	4	0	0	0	0
12.	पंजाब	1	1.2	0	0	0	0
13.	राजस्थान	0	0	1	7.5	1	2
14.	तेलंगाना	0	0	1	4.29	0	0
15.	पश्चिम बंगाल	3	15.35	5	34.62	1	15
कुल		**22**	**133.05**	**20**	**119.48**	**15**	**108.43**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

*****